6/3/20 पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक
रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ चक - 1 NM प०
नं. - 63/19 कि० नं० - 1, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 22
में परिचय किया कि चक से कोई बीहट
खुदा रास्ता नहीं है। परन्तु प्रार्थी द्वारा
चाहे गये रास्ता मु० नं० 29 प० नि० - 63/19
के लिए प० नि० - 68/18 के कि० नं० - 21 के
चांचड़ा गांव की ओर से आने वाला बीहट
रास्ता लगता है।
अतः प्रार्थी के द्वारा चाहा गया

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रास्ता अत्यंतिक आवश्यक नहीं है और खेत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए है एवं प्रार्थी की कृषि भूमि तक पहुँचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। फलत: प्रार्थी का प्रा० पत्र राज० काश्त० अधिनियम 1955 की ध० 251 'A' के अंतर्गत प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार तरतीब तकमील होकर नत्थी से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.03.13 17:04:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: